उत्तर प्लंद

प्रधान कार्यालयः बडोदः हारुसः नई दिल्लीः

## मु०क्र0सं0 13500/58

प. सं. 433-ई/6 सी. पी. सी./ Child Gare Leave / 08/ EIV

दिनांक 26 /12/2008

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक एदं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Child Care Leave (CCL) in respect of Railway Servents as a result of Sixth Central Pay Commission - clarification regarding.

रेल मंत्रालय के पत्र सं E (P&A) | -2008/ CPC/ LE-6 विनांक 12/12/2008 (आर. बी.ई. सं. 195 / 2008) के सं पी. सी.-VI - 58 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र स. दिनाक 23/10/2008 क्र.सं. पी.सी.-Vi/38 की प्रतिलिपि मुठकंठसंठ 13500/38 के अन्तरंगत भेजी जा चुकी हैं।

संलग्न/यथोक्त

१ Trilok Choudhari ) कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

## प्रतिलिपि:-

- ा.सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. दड़ांदा हाउस, नई दिल्ली।
- 2. महासचिव;एनआरएनयू,12 चेम्सफोर्ड रोड़;नयी दिल्ली
- 3. महासचिव;अ0भा0अ0फाः /अ0ज0जा० रेल कर्मचारी संगठन नी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर: नईदिल्ली-24
- 4. महासचिव, अ०भ०अ०पि०व० रेल कर्मचारी संगठन १७१/ए, ३ बसर्त लेन नई दिल्ली।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDÍA एक संभागर MINISTRY OF RAILWAYS (रेलारे बॉर्ड RAILWAY BOARD)

> PC-VINE SE 2008 RBE No. 195/2008

Nc.E(P&A)1-2008/CPC/LE-8

New Delhi, dt. 12 -12-2008

The General Managers/CAOs All Indian Railways and Production Units.

Sub: Child Care Leave (CCL) in respect of Railway Servants as a result of Sixth Central Pay Commission - clarification regarding.

Please refer to Board's letter of even number dated 23.10.2008 wherein Child Care Leave for a period of two years was introduced for female Railway servants. As regards procedure for grant of Child Care Leave (CCL), the following clarifications are issued:-

- i) CCL cannot be demanded as a matter of right. Under no circumstances can any employee proceed on CCL without prior proper approval of the leave by the leave sanctioning authority.
- ii) The leave is to be treated like the Earned Leave and sanctioned as such.
- iii) Consequently, Saturdays, Sundays, Gazetted holidays etc. falling during the period of leave would also count for CCL, as in the case of Earned Leave.
- iv) CCL can be availed only if the employee concerned has no Earned Leave at her credit.
- v) CCL sanctioned prior to 18.11.08 shall be treated as CCL and shall be deducted from the Child Care Leave account of the Railway employee concerned. No adjustment against any other kind of leave shall be made in this regard. The Child Care Leave sanctioned for the period beyond 18.11.08 shall be regulated as in terms of para (iv) above.
- Please acknowledge receipt.
- Hindi version will follow.

( Chander Parkash ) Joint Director Estt.(P&A), Railway Board

Contd.....2/-

उत्तर रेलवे NORTHERN RAILWAY

> प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।

## म्0क्र0सं0 13500/58A

पं. vi. 433-E/6 CPC/Child Care Leave /08/E-IV

हिनांक 04/05/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Grant of Child Care Leave to female railway servants.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)I-2009/CPC/LE-4 दिनांक 23/4/2009 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र सं E(P&A)I-2009/CPC/LE-4 विनाक 12/12/2008 (आर.बी.ई.सं. 195/2008) की प्रतिलिपि मु०कं०सं० 13500/58 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।


कृपया इस पत्र की पावती अवश्य भेजें।

संलग्न/यथोक्त

(Om Prakash) कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- 1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. वड़ीदा हाउस, नई दिल्ली।
- 2. महासचिव, एनआरएमयू, 12 चेम्सकोई रोड, नयी दिल्ली
- 3. महासचिव;30भा0310जा0/310ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर;नईदिल्ली-24
- 4. महासचिव; अ० म० अ० पि० व० रेल कर्मचारी संगठन १७१/ए; ३ इसंत लेन नई दिल्ली।



भारत रास्कार रेल मंत्रालय (रलवे बोर्ड)

सं. ई(पी एंड ए) 1-2009/सीपीसी/एलई-4 नई दिल्ली, दिनाँक 🗷 .04.2009

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय : महिला रेल कर्मचारियों को चाइल्ड केयर अवकाश प्रदान

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का 12.12.2008 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)।-

2009/सीपीसी/एलई-4.

कुछ क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रश्न उठाया गया है कि क्या चाइल्ड केयर अवकाश प्रदान करने के प्रयोजन से अर्दू औसत वेतन अवकाश को औसत वेतन अवकाश की तरह अर्जित अवकाश माना जाएगा।

2 यह स्पष्ट किया जाता है कि चाइल्ड केयर अवकाश को प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्द्ध औसत वेतन अवकाश को अर्जित अवकाश के रूप में नहीं माना जाए। इस प्रकार, महिला रेल कर्मचारी को उसके खाते में अर्द्ध औसत वेतन अवकाश होने पर भी चाइल्ड केयर अवकाश प्रदान किया जा सकता है। '

> -cJumm (चंद्र प्रकाश) संयुक्त निदेशक स्था. (पी एंड ए) रेलवे बोर्ड